



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102023-249315  
CG-DL-E-11102023-249315

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 11, 2023/आश्विन 19, 1945

No. 580]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023/ASVINA 19, 1945

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 733(अ).— वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 द्वारा यथापेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 520(अ), तारीख 6 जुलाई, 2022 और सा.का.नि. 812(अ), तारीख 9 नवंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव उस तारीख से, जब उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त प्रारूप नियम राजपत्र में क्रमशः, तारीख 6 जुलाई, 2022 और 9 नवंबर, 2022 को प्रकाशित किए गए थे ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4, धारा 5 और धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में,--

i. "सरकारी विमानक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "सिविल विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुज्ञाप्राप्त विमान क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

ii. "सिविल विमानन विभाग" शब्दों के स्थान पर, "सिविल विमानन महानिदेशालय" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 38 के उपनियम (1) में,--

(i) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) उड़ान अनुदेशक रेटिंग (विमानों और हेलीकाप्टरों के लिए);";

(ii) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(झ) पायलट अनुज्ञप्ति (ग्लाइडरों, बैलूनों, माइक्रोलाइट वायुयान, लाइट स्पोर्ट वायुयान और जायरोप्लेन के लिए); "।

4. उक्त नियमों में, नियम 39ग के उपनियम (1) की सारणी में,--

(i) क्रम संख्या (i) के सामने स्तंभ (3) में, "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्या (ii) के सामने स्तंभ (3) में, "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 42 के उपनियम (1) के चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि महानिदेशक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रेटिंग या अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए दक्षता और हाल ही के अनुभव की अपेक्षाएं यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या रेटिंग के नवीकरण के पूर्व पूरी की जाएंगी:"

6. उक्त नियमों के नियम 66 में,--

(i) उपनियम (1) में,--

(क) आरंभिक पैरा में, "किसी प्रकाश" शब्दों के स्थान पर, "किसी प्रकाश, किन्तु जो लालटेन कार्डिट्स, विस्कार्डिट्स, लेजर प्रकाश या कोई अन्य प्रकाश सहित, तक ही सीमित नहीं हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में, "5 किलोमीटर" अंक और शब्द के स्थान पर, "पांच समुद्री मील" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ग) में, "समीप" शब्दों के स्थान पर, "पांच समुद्री मील के समीप" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) जो वायुयान के सुरक्षित प्रचालन को बाधित कर सकेगा या विमानचालक दल को प्रचालन करने में संकट उत्पन्न कर सकेगा।

(ज) इस प्रकार अंतःस्थापित खंड (ज) के पश्चात् दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस स्थान के स्वामी या उसके स्थान पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति को जहां प्रकाश प्रदर्शित किया जाता है या प्रकाश पर प्रभार रखने वाले व्यक्ति पर स्वामी या व्यक्ति को निदेश देते हुए तत्काल प्रभाव से प्रकाश को बुझाने या प्रभावी ढंग से जांचने हेतु तथा भविष्य में किसी भी समान प्रकाश के प्रदर्शन को रोकने हेतु प्रभावी उपाय करने के लिए नोटिस भेज सकेगा।”

(ii) उपनियम (3) में, “उचित हेतुक के अभाव में, जिसे साबित करने का भार उस पर होगा, सूचना में अंतर्विष्ट निदेशों का अनुपालन करेगा।” शब्दों के स्थान पर, “उक्त सूचना में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुसार तुरंत कार्य करेगा।” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(4) यदि स्वामी या व्यक्ति, जिसे प्रकाश बुझाने का निदेश दिया गया है, के पास ऐसे प्रकाश को चलाने का युक्तियुक्त कारण है तो उसे प्रमाणित करने के सबूत का भार उस पर होगा, वह उस प्रकाश को बुझाने या प्रदर्शन को बंद करने के पश्चात्, हवाई अड्डा आपरेटर के निदेशों की अपील सिविल विमानन महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि कोई स्वामी या व्यक्ति, जिस पर इस नियम के अधीन सूचना की तामील की गई है, वह चौबीस घंटे की अवधि तक सूचना में वर्णित प्रकाश बुझाने या प्रभावी रूप से स्क्रीन करने की उपेक्षा करता है तो केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति बिना अनावश्यक नुकसान किए उस स्थान तक पहुंचकर उस प्रकाश को तुरंत बुझा सकेगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 281 या धारा 283 या दोनों के अधीन अपराध कारित करने की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु संबद्ध पुलिस स्टेशन को मामले की रिपोर्ट भी कर सकेगा।

(6) यदि किसी विमान चालक दल द्वारा प्रकाश के स्रोत का पता नहीं लगाया जा सकता है या ऐसे प्रकाश का उपयोग अवधारित स्थान से नहीं है या प्रकाश का उत्सर्जन स्रोत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहा है, तो, यथास्थिति, हवाई अड्डा आपरेटर या एयरलाइन आपरेटर मामले को तुरंत संबद्ध पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगा जिससे कारित अपराध हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 281 या धारा 283 या दोनों के अधीन अपराध कारित करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।”

7. उक्त नियमों में, नियम 67क में, उपनियम (6) में “विमान” शब्द के स्थान पर, “वायुयान” शब्द रखा जाएगा।

8. उक्त नियमों में, नियम 118 का लोप किया जाएगा।

9. उक्त नियमों में, अनुसूची 2 में,--

(i) अनुभाग क शीर्षक के अधीन, पैरा 9 को पैरा 10 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा

(ii) अनुभाग ड शीर्षक के अधीन पैरा 4 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(ग) उपस्कर रेटिंग- उपस्कर रेटिंग एयर लाइन परिवहन पायलेट अनुज्ञप्ति का भाग होगा और इसलिए कोई पृथक् उपस्कर रेटिंग जारी नहीं की जाएगी, तथापि उपस्कर रेटिंग अनुसूची 2 के अनुभाग ण में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार नवीकृत की जाएगी।”

10. उक्त नियमों में, अनुसूची 3 में, अनुभाग क में, पैरा 8 में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यदि अपर्याप्त गतिविधियों या निगरानी घंटों के दौरान पुनरावृत्ति या योग्यता अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सके तो अनुज्ञप्तिधारक को आपात स्थिति सहित न्यूनतम दस घंटे के एक साथ अभ्यास पूरे करने होंगे जिसके

अंतर्गत एक साथ अभ्यास प्रारंभ करने के दिन से लगातार अधिकतम दस दिनों हेतु संबद्ध रेटिंग के लिए कौशल मूल्यांकन भी कराना होगा।”।

11. उक्त नियमों में, अनुसूची 6ख में पैरा 2 में, सारणी 2 में, क्रम संख्यांक 81 के सामने, स्तंभ (2) में, “उपनियम” शब्द का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एवी - 11012/1/2022-डीजी]

सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण—** मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वी-26, दिनांक 23 मार्च, 1937 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार जी.एस.आर 289(अ), दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के तहत संशोधित किए गए थे एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), दिनांक 08 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित किए गए।

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2023

**G.S.R. 733(E).**—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published as required under section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) in the notification of the Government of India, in the Ministry of Civil Aviation, vide number G.S.R. 520 (E), dated the 06th July, 2022 and G.S.R. 812 (E), dated the 09th November, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date of publication in the Official Gazette and containing the said notification were made available to public;

And whereas, the said draft rules were published in the Official Gazette on dated the 06th July, 2022 and 09th November, 2022 respectively;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules within the period specified, have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 4, 5 and 10A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937; namely: -

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Aircraft (First Amendment) Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 13,—
  - i. for the words “Government Aerodrome” wherever they occur, the words “Aerodrome licensed by the Director-General of Civil Aviation” shall be substituted;
  - ii. for the words “Civil Aviation Department”, the words “Directorate General of Civil Aviation” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 38, in sub-rule (1), —
  - (i) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely: —  
“(h) Flight Instructor’s Rating (for aeroplanes, helicopters);”;
  - (ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: —  
“(i) Pilot’s License (for gliders, balloons, microlight aircraft, light sport aircraft and gyroplane);”.
4. In the said rules, in rule 39C, in sub-rule (1), in the Table, —
  - (i) against serial number (i), in column (3), for the words “Five years” the words “Ten years” shall be substituted;

(ii) against serial number (ii), in column (3), for the words “Five years” the words “Ten years” shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 42, in sub-rule (1), after fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided also that the requirements of competency and recent experience for exercising the privileges of the licence or rating as specified by the Director-General, shall be completed before renewal of licence or rating as the case may be.”.

6. In the said rules, in rule 66,—

(i) in sub-rule (1), —

(a) in the opening paragraph, for the words “any light”, the words “any light including but not limited to the lights from Lantern Kites, Wish Kites, Laser light or any other light” shall be substituted;

(b) in clause (a) , for the figure and word “5 kilometres,” the words “five nautical miles,” shall be substituted;

(c) in clause (c) , for the word “vicinity” the words “vicinity of five nautical miles” shall be substituted;

(d) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: —

“(e) which may disrupt safe operation of the aircraft or may pose hazard to the operating crew.”;

(e) after clause (e) as so inserted, for the long line, the following long line shall be substituted, namely: —

“the Central Government. or any person authorised by it may by notification in Official Gazette, serve a notice upon the owner or person in possession of the place where the light is exhibited or upon the person having charge of the light, directing the owner or person to take effectual means for extinguishing or for effectually screening the light with immediate effect and for preventing for the future, the exhibition of any similar light.”;

(ii) in sub-rule (3), for the words “ in the absence of reasonable cause, the burden of proving which shall be upon him, comply with the direction contained in the notice.” the words “ immediately act in accordance with the directions contained in the said notice.” shall be substituted;

(iii) for the sub-rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

“(4) In case the owner or person who has been directed to extinguish the light has any reasonable cause to operate such light, the burden of proof which shall be upon him, may, after extinguishing or stopping exhibition of lights, submit an appeal from the directions of Airport Operator, to the Director General of Civil Aviation.

(5) If any owner or person on whom a notice under this rule is served, neglects for a period of twenty four hours to extinguish or effectually to screen the light mentioned in the notice, the Central Government or any person authorised by the Central Government may enter upon the place where the light is and forthwith extinguish the same, doing no unnecessary damage and may also report the matter to the concerned police station for initiating the action of commission of offence as provided under section 281 or 283 or both of the Indian Penal Code.

(6) In case the source of the light observed by the operating crew of any aircraft is not located or the use of such light is not from a determined place or the source of emission of light is shifting from one place to another then the Airport Operator or the Airline Operator as the case may be, shall immediately report the matter to the concerned police station so as to initiate action for commission of offence as provided under section 281 or 283 or both of the Indian Penal Code.”.

7. In the said rules, in rule 67A, in sub-rule (6), for the word “aeroplane”, the word “aircraft”, shall be substituted.

8. In the said rules, rule 118 shall be omitted.

9. In the said rules, in Schedule II,—

(i) under the heading Section A, the paragraph 9, shall be renumbered as paragraph 10;

(ii) under the heading Section M, in paragraph 4, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: —

“(c) Instrument Rating- The Instrument rating shall be part of the Airline Transport Pilot License and therefore no separate Instrument Rating shall be issued, however, the Instrument Rating shall be renewed as per the requirements specified in Section ‘O’ of Schedule II.”.

10. In the said rules, in Schedule III, in Section A, in paragraph 8, after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: —

“provided that in case the recency or competency requirements cannot be completed due to insufficient movements or watch hours then the license holder shall complete minimum ten hours of simulated exercises including emergencies and shall also undergo a skill assessment for respective rating in not more than ten consecutive days of commencement of simulated exercises”.

11. In the said rules, in Schedule VIB, in paragraph 2, in Table 2, against serial number 81, in column (2), the words “sub-rule” shall be omitted.

[F. No. AV-11012/1/2022-D G]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

**Note.**— The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended vide G.S.R. 289(E), dated the 08th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 08th April, 2022.